सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 17, गुरूवार, *शाके* 1945-मार्च 07, 2024 *Phalguna 17, Thursday , Saka 1945- March 07 , 2024*	

भाग 5 (घ)

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये निर्णय।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 04, 2024

संख्या एफ.1(1)(1)श्रम/रोडवेज/लोकोपयोगी/विधि/1985 :-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-14) की धारा- 2 एन (vi) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार इससे सन्तुष्ट होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना अपेक्षित है, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ ''ट्रांसपोर्ट (अदर देन रेल्वेज) फार दी कैरिज ऑफ पैसेन्जर्स एण्ड गुडस बाई रोड़'' के कार्यां को अधिसूचना जारी होने की तिथि से 6 माह की अवधि के लिये लोकोपयोगी सेवा घोषित करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

धर्मपाल सिंह,
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं,
पदेन संयुक्त शासन सचिव,
राजस्थान,जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।